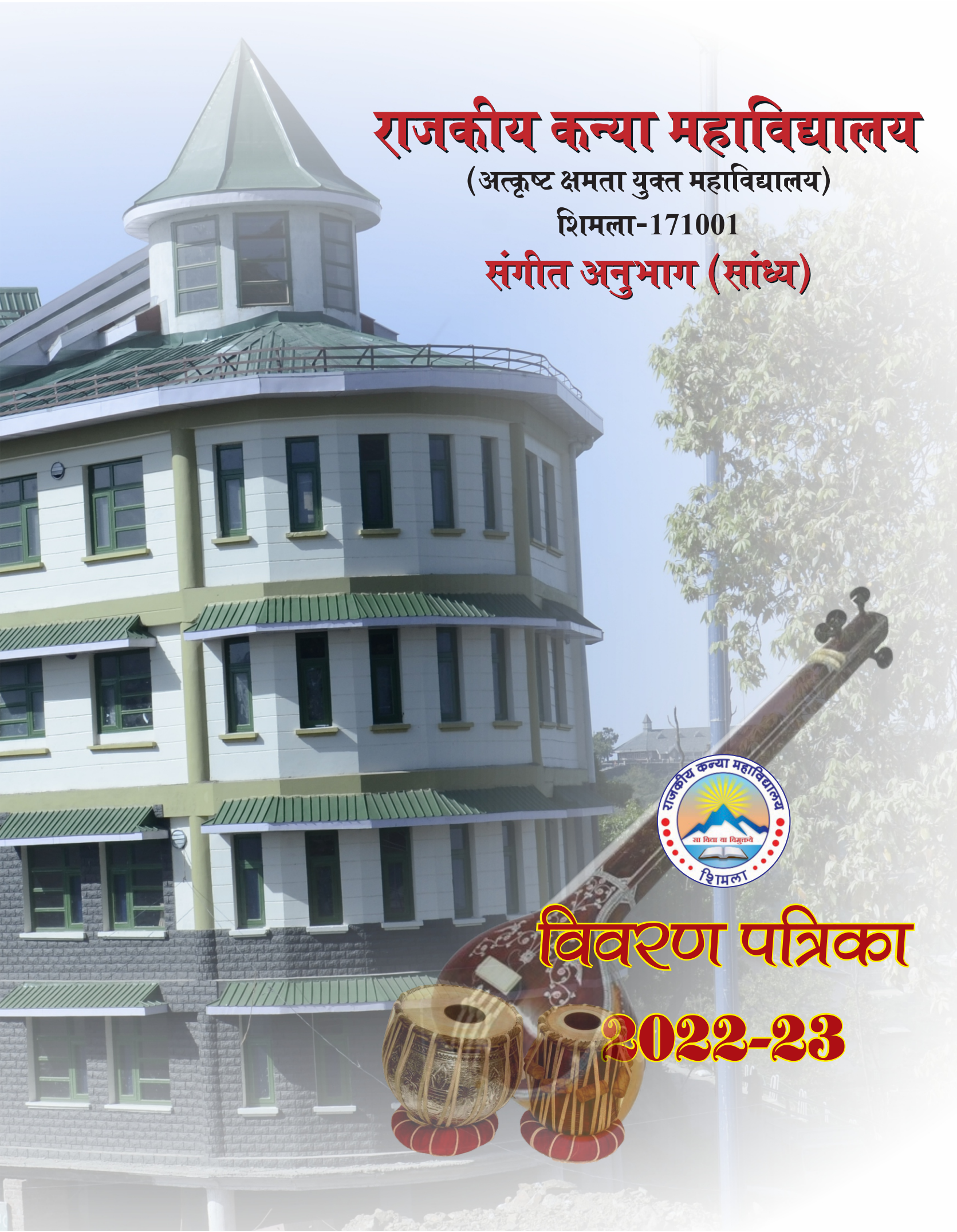

राजकीय कन्या महाविद्यालय

(अत्कृष्ट क्षमता युक्त महाविद्यालय)

शिमला-171001

संगीत अनुभाग (सांध्य)

विवरण पत्रिका

2022-23

संगीत अनुभाग (सांध्य)

राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला-171001

(उत्कृष्ट क्षमता युक्त महाविद्यालय)

हमारा ध्येय:

राजकीय कन्या महाविद्यालय एक उत्कृष्ट उच्चतर अध्ययन संस्थान है। इस उत्कृष्ट क्षमतायुक्त महाविद्यालय में सांध्य संगीत अनुभाग के विद्यार्थियों का आधुनिक तकनीकी सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मूल्यपरक शिक्षा द्वारा एक समग्र व्यक्तित्व निर्माण करना हमारा ध्येय है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समकालीन समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन सकें।

हमारा प्रयास:

- ☛ सांध्य संगीत अनुभाग में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ जुटाना।
- ☛ उन्हें जीवनयापन व कौशल-विकास का प्रशिक्षण देना।
- ☛ गुरू-शिष्य परम्परा द्वारा संगीत सीखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- ☛ जिज्ञासु विद्यार्थियों को संगीत-कला सीखने का अवसर प्रदान करना ताकि वे योग्य व प्रतिष्ठित कलाकार बन सकें।

संक्षिप्त परिचय:

''*सा विद्या या विमुक्त्ये*'' अर्थात् विद्या वही है जो मुक्ति (मोक्ष) प्रदान करती है। यह उक्ति राजकीय कन्या महाविद्यालय में शिक्षा द्वारा महिला-सशक्तिकरण के प्रयासों को सार्थक करती है। यह महाविद्यालय प्रकृति की गोद में, पेड़ों के झुरमुट के बीच 'एलीजियम हिल' पर स्थित है तथा यौवन और प्राकृतिक छटा का संगम है। रिज मैदान से महाविद्यालय पैदल 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है।

इसके गौरवमय इतिहास व धरोहर पर हमें गर्व है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1945 में जुब्बल के राजा श्री पदम् चन्द्र की पुण्य स्मृति में डिग्री कॉलेज के रूप में हुई थी जो कि स्वतन्त्र भारत से पहले

शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। 14 दिसम्बर, 1957 में पंजाब सरकार के आदेशों पर स्थानीय बी.एम. कॉलेज को इसके साथ मिला दिया गया। महाविद्यालय का पुनः नामकरण राणा पदम् चन्द्र स्नातन धर्म भार्गव कॉलेज के रूप में हुआ; तत्पश्चात् सन् 1977 में हि.प्र. सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर पूर्ण रूप से कन्या महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा इसका एक बार फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय के रूप में नामकरण हुआ। वर्ष 2003 में 'नैक' द्वारा इसे बी++ की श्रेणी में स्वीकार्य किया जाना इसके लिए एक बड़ा कदम था। वर्ष 2012 में इसे यू.जी.सी. द्वारा ''उत्कृष्ट क्षमतायुक्त महाविद्यालय'' चयनित करना एक और उपलब्धि रही। 1978 में इस संस्था में केवल 919 विद्यार्थी थे। राजकीय कन्या महाविद्यालय ने जो कि सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में लड़कियों का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है, एक लम्बा सफ़र तय किया है और आज इसमें छात्राओं की संख्या 3337 पहुँच गयी है। तीनों संकायों में (विज्ञान, कला और वाणिज्य) गुणात्मक शिक्षण के अतिरिक्त वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप होने की ओर बी.सी.ए., बी.एस.सी. (आनर्स) माइक्रोबाइलॉजी और पी.जी.डी.सी.ए. जैसे पेशा उद्गामी व स्व-अर्थ प्रबन्धन विषयों में यह महाविद्यालय सफल प्रशिक्षण दे रहा है। एड ऑन कोर्स जैसे कि ई-कॉमर्स, कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन, ट्रैवल और टूरिज़्म मैनेजमैंट आदि विषय पढ़ाए जा रहे हैं। जिससे विद्यार्थी एक ही समय में दोनों कोर्स पढ़कर अपनी क्षमता में वद्धि का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों में सम्प्रेषण-कौशल बढ़ाने हेतु भाषा-प्रयोगशाला की स्थापना अपने आप में संस्था द्वारा उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस महाविद्यालय में दृश्य एवं कला की विशेष नींव डाली गयी है जो कि चित्रकला, विज्ञापन कला और संगीत (गायन, वादन व नृत्य) विभागों की मार्गदर्शक है। पिछले 37 वर्षों में हमने विद्यार्थियों को अपने कौशल को विकसित करने के लिए सुअवसर प्रदान किए हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सके और वे निरन्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। हिमाचल प्रदेश में यह एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ यह विषय पढ़ाया जा रहा है। आज तक लगभग 2000 विद्यार्थियों ने इस महाविद्यालय में दृश्य एवं प्रदर्शन कला में शिक्षण प्राप्त किया है। इन विभागों में हमारा प्रयास सृजनात्मक शिक्षण की ओर अलग और व्यक्तिगत रहता है। विद्यार्थियों को किसी भी समय विचार-विमर्श तथा अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे किसी भी समय महाविद्यालय के शान्त एवं बहु-साँस्कृतिक वातावरण का लाभ उठा सकते हैं। इस महाविद्यालय में व्यक्तिगत कार्य-स्थान तथा कलात्मक-वातावरण प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसमें संगीत हेतु पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। दो कमरों में गायन, दो कमरों में वादन, एक कमरे में नृत्य, एक कमरे में चित्रकला तथा एक में विज्ञापन-कला शिक्षण चलता है।

सात मंजिला शानदार इमारत वाले इस महाविद्यालय में बड़े-बड़े भाषण कक्ष एवं भिन्न-भिन्न विभागों के लिए अलग-अलग कक्षा चिन्हित हैं। माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र सिंह जी ने प्रशासनिक तथा कला ब्लॉक बनाने हेतु पाँच करोड़ की राशि अनुदान के रूप में दी है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए दो छात्रावास (एक जन-जातीय छात्राओं के लिए व एक सामान्य श्रेणी की छात्राओं के लिए), कॉमन-रूम, कैन्टीन, पी.सी.ओ., इंटरनेट, बैंक व डिस्पैन्सरी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में लिए इस महाविद्यालय में एन.एस.एस., एन.सी.सी. भारत स्काउट और गाईड में से किसी एक को चुनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनमें नैतिक मूल्य, मिल-जुल कर काम करने की भावना तथा उत्तरदायित्व निभाने व अनुशासन जैसे गुणों को बढ़ावा मिले। नवयुवाओं में अलौकिक एवं विश्वसनीय व्यक्तित्व का विकास शिक्षा की मात्रा की बजाय गुणात्मक पर निर्भर करता है। ऐसे वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्या महोदया डॉ. नवेन्दु शर्मा के प्रगतिशील नेतृत्व में कर्मठ शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग निरन्तर प्रयासरत रहता है।

साँध्य संगीत महाविद्यालयः

राजकीय महाविद्यालय का संगीत अनुभाग-गायन, वादन एवं नृत्य तीनों विधाओं में शिक्षण दे रहा है। यह पहले आर्ट कॉलेज, नाहन में सन् 1962 में स्थापित हुआ था, जिसे बाद 1968 में नाहन से बदलकर शिमला लाया गया। उस समय यह गवर्नमेंट कॉलेज शिमला-6 के नियन्त्रण में था। 1977 में इसे बदलकर राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य के नियन्त्रण में कर दिया गया।

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय का सांध्य संगीत अनुभाग भातखण्डे विद्यापीठ लखनऊ से सम्बद्ध तथा इसमें गायन, वादन एवं नृत्य, संगीत की तीनों विधाओं में पाँच वर्षीय विशारद का कोर्स उपलब्ध है। प्रारम्भ से ही यह उत्तर भारत का सबसे वांछित शास्त्रीय संगीत संस्थान रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विद्यापीठ

से सम्बन्ध इसे सांध्य कला महाविद्यालय का उद्देश्य शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन व नृत्य) में स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। इसमें प्रवेश हेतु अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है।

व्यावसायिक कोर्स के अतिरिक्त महाविद्यालय में हॉबी कक्षाएँ भी चलाई जाती हैं ताकि सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी और विद्यालयों के छोटे बच्चे भी संगीत-कला का लाभ उठा सकें। यह महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में अपने प्रकार का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ इस प्रकार का पाठ्यक्रम संगीत की तीनों विधाओं (गायन, वादन व नृत्य) में पढ़ाया जाता है। इस संगीत अनुभाग में छात्र एवं छात्राएँ दोनों ही प्रवेश के पात्र हैं।

अध्ययन के विषय:

1. शास्त्रीय संगीत में प्रथमा - गायन, वादन तथा नृत्य।
2. शास्त्रीय संगीत में मध्यमा - गायन, वादन तथा नृत्य।
3. शास्त्रीय संगीत में विशारद - गायन, वादन तथा नृत्य।
4. हॉबी कक्षाएं: शास्त्रीय संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

शिक्षण स्टाफ:

1. प्राचार्या -
2. प्राध्यापक (वाद्य) - मेजर डॉ लक्ष्मी
3. प्राध्यापिका (गायन) - प्रो. उषा शर्मा
4. प्राध्यापिक (नृत्य) - डॉ. अंजली
5. गैर शिक्षक स्टाफ - श्री मोहन चौहान
6. तबला प्रशिक्षण - रिक्त

प्रवेश तिथि:

1. प्रवेश दिनाँक 06-07-2021 से 30-07-2019 तक बिना शुल्क के निर्धारित है।
2. भातखण्डे विद्यापीठ लखनऊ की सभी परिक्षाएं (प्रथमा, मध्यमा एवं विशारद भाग-1 भाग-2 प्रत्येक वर्ष) दिसम्बर मास में होती है।

प्रवेश हेतु नियम:

1. प्रवेश के सभी अधिकार महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सुरक्षित है।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों का चयन प्राचार्या द्वारा गठित प्रवेश समिति (Board) द्वारा किया जाएगा।
3. व्यावसायिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा दस वर्ष निर्धारित है।
4. हॉबी कक्षाओं के लिए न्यूनतम आयु आठ वर्ष निर्धारित है। जबकि प्रवेश हेतु अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
5. आयु प्रमाण-पत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. हिन्दी का साधारण ज्ञान होना अनिवार्य है।
7. छात्र और छात्राएँ दोनों ही प्रवेश के पात्र हैं।
8. जो विद्यार्थी नौकरी में हैं- उन्हें इस आशय का प्रमाण-पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (उस संस्था से जहां वे नौकरी करते हैं), प्रवेश-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

पुनः प्रवेश

जिन छात्रों का नाम किन्हीं कारणों से महाविद्यालय की छात्र सूची से कट गया हो उन्हें प्राचार्या महोदया की अनुमति से पुनः प्रवेश उपलब्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुनः प्रवेश शुल्क देना होगा एवं उस तिथि तक सम्बन्धित छात्र को महाविद्यालय के सभी देय शुल्क व जुर्माना राशि अदा करनी होगी।

फीस व शुल्क

प्रथमा, मध्यमा एवं विशारद व हॉबी कक्षा के लिए

1. प्रवेश शुल्क	:	25.00 रुपये प्रति वर्ष
2. शिक्षण शुल्क (Tution Fee)	:	50.00 रुपये केवल लड़कों के लिए (मासिक)=600.00 प्रति वर्ष
3. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	:	50.00 रुपये
4. परिचय-पत्रक फण्ड	:	10.00 रुपये
5. स्वास्थ्य (Medical) शुल्क	:	6.00 रुपये
6. रैड क्रॉस शुल्क	:	5.00 रुपये
7. युवा कल्याण शुल्क	:	02.00 रुपये
8. सम्मिलित निधि	:	25.00 रुपये प्रतिमाह 300.00 रुपये प्रति वर्ष
9. खेल व साँस्कृतिक निधि	:	20.00 रुपये प्रति माह 240.00 रुपये प्रति वर्ष
10. भवन निधि	:	10.00 रुपये प्रति माह 120.00 रुपये प्रति वर्ष
11. फर्नीचर फण्ड	:	10.00 रुपये प्रति वर्ष
12. परिसर विकास एवं सौन्दर्यकरण शुल्क	:	10.00 रुपये प्रति वर्ष
13. मिश्रित फण्ड	:	60.00 रुपये प्रति वर्ष
योग (लड़कियों के लिए)	:	843.00 रुपये प्रति वर्ष
योग (लड़कों के लिए)	:	1443.00 रुपये प्रति वर्ष
14. अभिभावक-प्रध्यापक संघ फण्ड	:	200.00 रुपये प्रति वर्ष
योग (लड़कियों के लिए)	:	843.00+200.00 = 1043.00 रुपये प्रति वर्ष
योग (लड़कों के लिए)	:	1443.00+200 = 1643.00 रुपये प्रति वर्ष

अनुशासन स्थापना सम्बन्धी नियम:

1. अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र पर ही छात्र-छात्रा के अभिभावक के स्वीकृति हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
2. केवल वही छात्र परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे जिनकी न्यूनत्तम 75 प्रतिशत उपस्थिति प्रतिवर्ष होगी।
3. महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर छात्र-छात्रा उत्तरदायी होंगे।
4. प्राचार्या की अनुमति एवं अनुमोदन के बिना किसी भी छात्र समिति का गठन या सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता।
5. किसी भी व्यक्ति को महाविद्यालय में किसी भी सन्दर्भ में आयोजित की जाने वाली किसी भी बैठक में प्राचार्या की अनुमति के बिना भाषण देने हेतु आमन्त्रित नहीं किया जा सकता।
6. प्रत्येक छात्र से महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने तथा उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
7. परिचय-पत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

परीक्षाएं:

सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े पाँच वर्ष है। प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर में परीक्षाएँ आयोजित की जाती है। दो वर्ष के उपरान्त ''प्रथमा'' का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इसके एक वर्ष उपरान्त विद्यापीठ द्वारा ''मध्यमा'' का डिप्लोमा दिया जाता है। आगामी एक वर्ष के अध्ययन के पश्चात् ''विशारद प्रथम'' आगामी वर्ष में अन्तिम अर्थात् पाँच वर्ष पश्चात् भातखण्डे संगीत विद्यापीठ द्वारा ''विशारद द्वितीय'' वर्ष का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर विद्यार्थी को डिग्री प्रदान की जाती है।

नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों के लिए निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री_____इस संस्था/कार्यालय में दिनांक_____से_____

पद पर कार्य कर रहे/रही है। राजकीय महाविद्यालय शिमला में उनके_____

_____कक्षा में अध्ययनरत होने में इस संस्था/कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा वे यह प्रवेश इस कार्यालय की अनुमति से कर रहे/रही है।

तिथि_____

हस्ताक्षर

नाम_____

पद_____

कार्यालय की मोहर

अन्य स्थान पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री_____इस संस्था/कार्यालय में दिनांक_____से_____

पद पर कार्य कर रहे/रही है। राजकीय महाविद्यालय शिमला में उनके_____

_____कक्षा में अध्ययनरत होने में इस संस्था/कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा वे यह प्रवेश इस कार्यालय की अनुमति से कर रहे/रही है।

तिथि_____

हस्ताक्षर

नाम_____

पद_____

कार्यालय की मोहर

RAGGING
A PUNISHABLE OFFENCE

PROHIBITION OF RAGGING UNDER H.P. EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PROHIBITION OF RAGGING) ACT, 2009 defines ' Ragging' as doing any act, by disorderly conduct, to a student of an educational institution, which causes or is likely to cause physical or psychological harm or raising apprehension or fear or shame or embarrassment to the student. Such disorderly conduct includes, teasing or abusing or playing practical jokes on or causing hurt to such students or asking a student to do any act or perform something which such student, will not be willing to do in the ordinary course.

A student who commits the offence of ragging shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or shall also be liable to a fine which may extend to Rs. 50,000 or both.

If a student is convicted of the charges of committing, abetting, participating or propagating ragging, he shall be dismissed from the college and such student will not get admission in other colleges for as period of three years from the date of his dismissal form the college.

Anti Ragging/General Discipline Committee

Chairperson Tel.: 82787-89590

Dr. Ruchi Ramesh	**: 94184-55111**
Dr. Gopal Chauhan	**: 94184-82268**
Dr. Saroj Bhardwaj	**: 98160-86304**
Dr. Santosh Thakur	**: 82198-72173**
Dr. Vandana Sharma	**: 94180-02524**
Dr. Laxmi	**: 94184-75172**
Dr. Shobha Barhath	**: 94186-75173**
Dr. Jyoti Pandey	**: 94181-59310**

FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Office Tel.: 0177-2807959
e-mail: shimlarkmv@gmail.com
web: www.rkmvshimla.nic.in

Price:
College Counter Rs. 50.00